

सं०सं०-म०नि०-IV-लेखा-304/2021-22/.....^{17 (3-110)}
मत्स्य निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।_{02.02.2023}

प्रेषक,

एच० एन० द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग सं० 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज योजना अंतर्गत मो० 24,56,000/-रु० मात्र (चौबीस लाख छप्पन हजार) रु० मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग- सामान्य स्वीकृत्यादेश सं० 41 रा० (वि०) दिनांक 27.01.2023 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० 2160 तथा आवंटन सं० 68 आ० (वि०) दिनांक 02.02.2023 ऑनलाईन आवंटन सं० 3765।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग सं० 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज योजना अंतर्गत सामान्य स्वीकृत्यादेश सं० 41 रा० (वि०) दिनांक 27.01.2023 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० 2160 तथा आवंटन सं० 68 आ० (वि०) दिनांक 02.02.2023 ऑनलाईन आवंटन सं० 3765 के आलोक में मो० 24,56,000/-रु० मात्र (चौबीस लाख छप्पन हजार) रु० मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। यह आवंटन राज्यादेश द्वारा स्वीकृत मो० 24.56 लाख रु० मात्र (चौबीस लाख छप्पन हजार) रु० मात्र के विरुद्ध आवंटित है।

2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-11/2021-22/245/बजट दिनांक-30.03.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय की अनुमति प्राप्त है।



3. वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग सं० 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना/उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज योजना अंतर्गत जिलावार निधि का आवंटन:

क्र०	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 05-निर्माण -44-जीर्णोद्धार	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S24050079656010544	
1	2	3	4
1	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, रॉची	2456000	2456000
कुल योग:		2456000	2456000

मो० चौबीस लाख छप्पन हजार रु० मात्र।

4. आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि० (2) दिनांक-17.04.1998 वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक-15.07.2003 एवं पत्रांक-533 (वि०) दिनांक-03.03.2004 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी की जाय।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। प्रत्येक माह नियमित लेखा मिलान (Reconciliation) कर त्रुटि निराकरण करना संबंधित DDO का दायित्व होगा।
6. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 के आलोक में किया जाये। साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
7. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
8. योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो, इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
9. इस आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रॉची होंगे जो राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

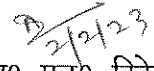
17/8/22
02/02/2023

Y. S. S.

10. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि इस प्रयोजनार्थ अन्य स्रोत (जिला/अन्य विभाग/योजना) से राशि प्राप्त नहीं हो रही है।
11. कार्यो का भौतिक/वित्तीय उपलब्धि झारखण्ड सरकार की Website पर Post किया जाय।
12. स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश के निदेश का अक्षरशः पालन किया जाए।
13. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण आपत्तियों, अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय पूर्व में इस मद में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु0-ऑनलाईन आवंटन

विश्वासभाजन


(एच0 एन0 द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 17(3110) मत्स्य/ राँची, दिनांक 02.02.2023

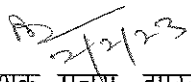
प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/अवर सचिव, बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग/योजना शाखा, मत्स्य निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 17(3110) मत्स्य/राँची, दिनांक 02.02.2023

प्रतिलिपि संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संयुक्त मत्स्य निदेशक, मत्स्य निदेशालय/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।




निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - IV/304/22-23/II/17

दिनांक - 02-Feb-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 24050079656010544 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 56 - फीड बेस्ड फिशरीज 01-फीड बेस्ड फिसरिज 05 - निर्माण State Scheme State Scheme : Central Scheme :	80408	DRNFSH005 ARUP KUMAR CHOUDHARY DIST.FISH.OFF.CUM EX.OFFICER 44 - जीर्णोद्धार	2,456,000.00 रुपये चौइस लाख छप्पन हजार
	FEED BASED FISHERIES(0590)			
	NA			



योग: रुपये चौइस लाख छप्पन हजार

2,456,000.00

क्रमिक योग:

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मौज सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना & 56 - फीड बैस्ड फिशरीज
DDO NAME DDO DESG

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S24050079656010544	औरत	Total
1	2	3	4	5	6	7	
	Doranda	DRVSH005	Arup Kumar Choudhary	Dist. Fish Off. Cum Ex. Officer			
					₹24,56,000.00 (80+08)	₹24,56,000.00	

टिप्पणी :- (अ) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

कुल आवंटित राशि :- ₹24,56,000.00 (pksbi ykik Niu grik) रुपये मात्र ।

(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES

17 (3110)
02/02/2023

20/11